न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 51/2017 प्रार्थना पत्र
GCMS No- 2017/00272

देवकिशन पिता मांगीलाल जटिया, आयु 35 साल, निवासी रसूलपुरा, हा.मु. साकरिया, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. मोहनलाल पिता जीतू अहीर, आयु 50 साल, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मदनलाल पिता जीतु अहीर, उम्र 45 साल, निवासी फाचर अहीरान, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अधि.
श्री आशाराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित
श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता विपक्षगण, उपस्थित

निर्णय दिनांक 24.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा रसूलपुरा की आराजी नं. 798 रकबा 0.9100 हैक्टेयर गे.मु. (जिसमें से 0.0500 हैक्टेयर रास्ता), आराजी नं. 799 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नं. 877 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नं. 878 रकबा 0.4300 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से विपक्षीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होते हुए भी विपक्षीगण उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा करना चाहते हैं तथा अनावश्यक दखलअन्दाजी करते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि काश्तकार है जिससे विवादित भूमि के हर प्रकार से उपयोग उपभोग का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:39:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ ने

वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम रसूलपुर की खाता संख्या 65 संवत 2070–73 एवं नक्शा ट्रेस की छायाप्रति प्रस्तुत की है। बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया है कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर विपक्षीगण अनावश्यक रूप से दखल अन्दाजी कर रहे हैं जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थी के कथनों को नकारते हुए किसी प्रकार की दखलअन्दाजी से इन्कार किया है। हमने बहस पर मनन किया। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिसे अपनी खातेदारी भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित होता है। विपक्षीगण का विवादित भूमि से कोई विधिक सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है। ना ही विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के विरोध में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध वांछित सहायता प्रदान किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण विवादित भूमि मौजा रसूलपुरा की आराजी नं. 798 रकबा 0.9100 हैक्टेयर गे.मु. (जिसमें से 0.0500 हैक्टेयर रास्ता), आराजी नं. 799 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नं. 877 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नं. 878 रकबा 0.4300 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7400 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत, मजाहमत नहीं करें ना करावें। प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखलअन्दाजी नहीं करें ना करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के साथ संलग्न हो।

आज दिनांक 24.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:39:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official